न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 12/2023 विभागीय अपील

आदेश

दिनांक 29/09/2023

अपीलार्थीः- **श्रीमती कान कंवर शर्मा, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, जावक अनुभाग, जिला कलक्टर, कार्यालय, भीलवाड़ा हाल कोष कार्यालय, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा।**

प्रत्यर्थीः- **जिला कलक्टर, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)**

अपील अंतर्गत नियम -23 सीसीए रूल्स-1958 विरूद्ध जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2022 अंतर्गत नियम-17 राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 से उदयपुर संभाग का पुनर्गठन किया जाकर जिला भीलवाड़ा उदयपुर संभाग में सम्मिलित किया गया है, जो दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी है। उक्त अधिसूचना की अनुपालना में न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर से जिला भीलवाड़ा क्षेत्र की स्थानांतरित हस्तगत पत्रावली इस न्यायालय में दिनांक 13.09.2023 को दर्ज की गई।

उक्त प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमती कान कंवर शर्मा, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, जावक अनुभाग, जिला कलक्टर, कार्यालय, भीलवाड़ा हाल कोष कार्यालय, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 अंतर्गत विभागीय जांच कार्यवाही प्रारंभ की जाकर ज्ञापन दिया जाकर निम्न आरोप आरोपित किये गये (अपीलीय निर्णय अनुसार) :-

<u>आरोप-1</u> यह कि आप जिला कार्यालय में पदस्थापित होकर जावक अनुभाग संबंधी कार्य संपातिद किया जा रहा है। इस कार्यालय (जिला कार्यालय, भीलवाड़ा) के पत्र क्रमांक/एफ 1-4 ( )/स्था./2020/15172 दिनांक 30.01.2020 से श्री सुभाष यादव, आर. ए. एस., उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा की सेवा पुस्तिका में एच. पी. एल. अवकाश का इन्द्राज नहीं होने से उनकी सेवा पुस्तिका जिला कलक्टर, अलवर को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु स्थापना अनुभाग कार्यालय हाजा (जिला

कार्यालय, भीलवाड़ा) की पिओन बुक से दिनांक 30.01.2020 को जावक अनुभाग में भिजवाई गई, जिस पर आपकी प्राप्ति रसीद है। जिला कलक्टर, अलवर के पत्र क्रमांक/11393 दिनांक 24.12.2020 से आर. ए. एस., उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा की सेवा पुस्तिका प्राप्त नहीं होना बताया है, जबकि स्थापना अनुभाग की पीओन बुक अनुसार दिनांक 30.01.2020 को ही सेवा पुस्तिका जावक अनुभाग में भिजवाई जा चुकी थी। आप द्वारा सेवा पुस्तिका नहीं भिजवाये जाने से संबंधित अधिकारी को वेतनवृद्धि, समर्पित अवकाश व अन्य परिलाभों का भुगतान नहीं हो सका है। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य अपने कर्तव्यों के प्रति गैर जिम्मेदाराना होकर राजकीय कार्य के प्रति लावरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है।

अपीलार्थीया ने इस आरोप पत्र का जवाब प्रस्तुत कर बताया कि जिला कलक्टर, कार्यालय में तत्कालिन समय में जावक अनुभाग के कार्य को अन्य कमरे में स्थानांतरित करने के आदेश प्रदान किये गये थे। स्थापना अनुभाग से सेवा पुस्तिका प्राप्त करने के बाद स्थापना अनुभाग में कार्यरत श्री इरफान, सहायक कर्मचारी द्वारा अपचारी कर्मचारी से सेवा पुस्तिका वापस स्थापना अनुभाग में लेकर गया। श्री इरफान द्वारा भी स्वीकार किया गया है, परंतु श्री इरफान द्वारा पुनः जावक अनुभाग में रखना बताया जिसकी जानकरी अपचारी कार्मिक को नहीं है। इसके अतिरिक्त तत्समय जावक अनुभाग में अपचारी कर्मचारी के साथ अन्य अनुभाग (जनसुनवाई अनुभाग व लोक सेवाएं अनुभाग) के साथ-साथ कार्य किया जा रहा था। प्रकरण में जिला कलक्टर कार्यालय में जावक अनुभाग में डाक भिजवायें जाने के संबंध में अपचारी कर्मचारी द्वारा एक मात्र कार्य किया जाता था। डाक की अधिकतम कार्य व्यवस्था, डाक रखने हेतु किसी प्रकार की लॉक व्यवस्था नहीं होने तथा अन्य अनुभाग के कर्मचारियों के साथ कार्य करने से उक्त सेवा पुस्तिका इधर-उधर हो जाने से सेवा पुस्तिका डाक से भिजवाने से रह गई। अपचारी कर्मचारी द्वारा जावक अनुभाग का कार्य मार्च, 2015 से पूर्ण ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा पूर्वक किया जा रहा है। जावक अनुभाग से सेवा पुस्तिका इधर-उधर हो जाने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अपचारी कर्मचारी द्वारा जानबुझकर किसी प्रकार से कार्य में लापरवाही नहीं बरती गई है। सेवा पुस्तिका की जानकारी होते ही अपचारी कर्मचारी द्वारा कार्यालय में सर्च तलाशी हेतु पत्र जारी किया गया तथा अपचारी कर्मचारी स्वयं जिला कार्यालय के समस्त अनुभागों में जाकर पूछताछ व जानकारी की गई। साथ ही उक्त दिनांक को अन्य स्थानों पर भेजी गई डाक यूआईटी, उदयपुर, निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर, विधि कार्यालय, जयपुर, नगर परिषद, भीलवाड़ा के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाकर जानकारी की गई, परंतु सेवा पुस्तिका नहीं मिल पाई है। कार्यलय में सेवा पुस्तिका किसी के द्वारा डाक देते

समय सहवन से ले जाने व इधर-उधर होने की संभावना है। वर्तमान तलाशी व जानकारी करने पर मिल नहीं पाई। इस संबंध में अपचारी कर्मचारी की कोई दुर्भावना नहीं है। अतः जवाब पर सहानुभूति पूर्वक विचार फरमाते हुए आरोप ड्रॉप करवाने हेतु निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने पत्रावली पर आरोपित कर्मचारी (अपीलार्थीया) के कथन, उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन व विचार पश्चात् आदेश दिनांक 14.01.2022 से अपीलार्थीया को तीन वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थीया द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा-23 राजस्थान सिविल सेवा नियम के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से संबंधित अभिलेख मय टिप्पणी प्राप्त किया गया। अपीलार्थीया को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया दिनांक 26.09.2023 को अपीलार्थीया स्वंय उपस्थित हुई, जिस पर अपीलार्थीया के पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट कर निवेदन किया कि अपीलार्थीया कैंसर रोग से पीड़ित होकर ईलाज जारी रहते हुए निरंतर रूप से सिकनेस सर्टिफिकेट जिला कार्यालय में भिजवाते हुए मेडिकल अवकाश स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया था। उक्त सर्टिफिकेट कोषाधिकारी, भीलवाडा द्वारा जिला कार्यालय में विभिन्न दिनांको को भिजवाये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होने में अक्षम थी, किंतु फिर भी मेरे प्रार्थना पत्रों पर विचार ना करते हुए वास्तविक रूप से व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलार्थीया की 03 वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का निर्णय पारित किया गया। अपीलार्थीया राजकीय सेवा में सितम्बर, 1990 से कार्यरत है एवं सेवा-निवृति मई, 2024 में नियत है। अपीलार्थीया को प्रदत्त असंचयी दण्ड का प्रभाव संचयी के समान ही होगा क्योंकि अपीलार्थीया को 03 वर्ष का दण्ड दिया गया है, किंतु अपीलार्थीया का वर्तमान में 02 वर्ष का ही सेवाकाल शेष बचा है। अतः अपीलार्थीया को रोकी गई असंचयी वेतन वृद्धियां कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएंगी, इस प्रकार अपीलार्थीया को प्रदत्त दण्ड प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एवं न्याय के सामान्य नियमों के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय में अपीलार्थीया की बीमारी, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के संबंध में एक शब्द भी अंकित नहीं किया गया है। 17 सीसए के अंतर्गत कठोर दण्ड प्रदान किया गया है, जबकि सभी इस तथ्य से पूर्णतया

अवगत थे। अतः जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा दिये गये दण्ड को निरस्त करने की महत्ती कृपा करावें।

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपील पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 14.01.2022 को विधि सम्मत होने का अंकन किया और अपीलार्थीया के प्रस्तुत कथनों को अस्वीकार कर अपील निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थीया की अपील, अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों, प्राप्त प्रत्युत्तर, अपीलार्थीया के कथनों तथा पत्रावली का अध्ययन मनन किया गया। अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अंतर्गत अरोप पत्र जारी किये गये है जिस पर अपीलार्थी से जवाब प्राप्त किया गया। अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोपित शास्ति निरस्त करने के कारणों की ओर निम्नहस्ताक्षकर्ता का ध्यान आकृष्ट किया, जिस पर मनन किया गया। यह प्रकट होता है कि अपचारी एक राज्य कर्मचारी होने के नाते अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन अति सजगता एवं जिम्मेदारी से किये जाने की अपेक्षा की जाती है, किन्तु अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने पदीय कार्य में लापरवाही बरती गई, जिससे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की सेवा पुस्तिका गुम हो जाने के कारण अपचारी कर्मचारी दोषी पाया गया, वे तथ्य जिनके आधार पर आदेश दिया गया था, सिद्ध किये जा चुके है एवं सिद्ध तथ्यों के आधार पर नियम-14(2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शास्ति के अनुरूप आदेश देने के लिए पर्याप्त औचित्य है। उक्त परिस्थितियों एवं प्रस्तुत तथ्यों पर मनन करने पर पाया गया कि अपीलार्थीया गंभीर रोग (कैंसर) से पीड़ित होने तथा माह मई, 2024 में सेवानिवृति नियत होने इत्यादि के दृष्टिगत जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 14.01.2022 को पारित आदेश से तीन वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से अपीलार्थीया द्वारा की गई गलती से अधिक दण्ड दिया जाना प्रतित होता है।

अतः अपील अपीलार्थीया आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 14.01.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए तीन वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की बजाय अपीलार्थीया को **एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जाता है।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। आदेश की प्रति जिला कलक्टर, भीलवाड़ा एवं अपीलार्थीया को प्रेषित की जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर